

कार्यालय वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, मुरादाबाद क्षेत्र, मुरादाबाद।

पत्रांक 161 / 22-2 मुरादाबाद जुलाई 29 2016

सेवा में

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

विषय - रामपुर-केमरी मार्ग (ओ० डी० आर० सं०-20) किमी० 3.135 की बायीं पटरी पर ग्राम-पहाडी के गाटा संख्या-140 में एस्सार आयल लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0555 हे० संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 05 वृक्षों के पालन की अनुमति के संबंध में।

सन्दर्भ- वन संरक्षक (केन्द्रीय) का पत्रांक 8वीं/06/34/2016/एफ०सी०/58 दिनांक 28.04.2016 एवं मुख्य वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी उ०प्र० लखनऊ का पृष्ठांकित पत्रांक 2326/11सी-रामपुर दिनांक 05.05.2016।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर ने अपने पत्रांक- 150/14-1, दिनांक 19-07-2016 के द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार कर दिया है, जो इस प्रकार है।

bserve No.	Observation of GOI	Reply
1.	As per the detail at A1(ix), the information regarding of non forest land which is mentioned as zero is incorrect.	प्रस्तावित पेट्रोल/डीजल पम्प स्थापना से 0.1225 हे० गैरसंरक्षित भूमि प्रभावित होगी। संलग्नक-1
2.	The kml file of the proposed forest land for diversion is not in order (online version). The kml file has also not been submitted in CD form for GIS DSS analysis.	प्रभावित वन भूमि की Kml file संलग्न है। संलग्नक-2
3.	The SOI topo sheet uploaded is without title and index.	SOI topo sheet पर संकेत तालिका अंकित कर दी गयी है। संलग्नक-3
4.	The map of proposal forest land diversion (online) does not match with layout plan provided with the proposal.	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रामपुर के स्वीकृत मानचित्र के प्रभावित वन भूमि का भू-संदर्भित मानचित्र नया बनवाकर संलग्न किया गया है। संलग्नक-4
5.	The user agency has not provided undertaking for abiding with condition imposed by SPWD.	प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग रामपुर के स्वीकृत मानचित्र में उल्लिखित शर्तों की वचन बद्धता याचक विभाग द्वारा प्रस्तुत की गयी है। संलग्नक-5
6.	Most of the undertaking/ certificates have not been certified by the concern DCF/DFO.	हरताक्षर कर दिये गये हैं। संलग्नक-6
7.	The proposal is without submission of calculation for NPV levels.	प्रभावित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना संलग्न है। संलग्नक-7
8.	At several places seal of concerned official have not been affixed.	मोहर लगा दी गयी हैं। संलग्नक-8
9.	The compensatory afforestation scheme has been taken on equilent forest land i.e.0.05 ha(RF) which is incorrect (as mentioned in part II sr.no.13)	आनलाइन प्र-पत्र भाग-2 के क्रमांक संख्या-13 पर त्रुटिवश 0.5 हे० के स्थान पर 0.05 टंकित हो गया था। प्राक्कलन में क्षतिपूरक वनीकरण स्थल का क्षेत्रफल 0.5 हे० लिया गया है। संलग्नक-9
10.	The kml file of proposed compensatory afforestation (online) shows existing vegetation which needs re-	क्षतिपूरक वनीकरण स्थल पीपली आरक्षित वन ब्लॉक कक्ष संख्या-2 में

	verification of site. The kml file for proposed CA needs submission in CD for GIS DSS anylysis.	प्रस्तावित था, के स्थान पर पीपली आरक्षित वन ब्लॉक कक्षा संख्या-6 में प्रस्तावित किया गया है जिसकी सीडी, केएमएल फाइल तथा मानचित्र संलग्न है। संलग्न-10
11.	The online upload location map on topo sheet is without signature.	हस्ताक्षर युक्त टोपो शीट आन लाइन अपलोड कर दी गयी है। संलग्नक-11
12.	The site suitability certificate for compensatory afforestation is not as per approved formate.	भूमि उपयुक्ता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में बनाकर आनलाइन अपलोड कर दिया गया है। संलग्नक-12
13.	The certificate regarding FRA 2006 has not been uploaded in online version.	वन अधिकार अधिनियम 2006 का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया गया है। संलग्नक-13
14.	Site inspection report of DCF is incompletd.	साइट इन्स्पेक्शन रिपोर्ट को पूर्ण कर दिया गया है। संलग्नक-14
15.	CF has inspected the site but inspection note is note available with proposal.	वन संरक्षक मुरादाबाद द्वारा प्रस्तावित स्थल का दिनांक 26.02.2016 को निरीक्षण किया गया, के बिन्दु संख्या-16 में प्रभागीय निदेशक रामपुर द्वारा दी गयी आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए प्रस्ताव संस्तुति सहित प्रेषित किया गया है। संलग्नक-15

अतः प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर ने प्रेषित आख्या से सहमति व्यक्त करते हुए पुनः प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित है।
संलग्नक- 3 प्रतियां

भवदीय

(आर0पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।

पत्रांक /22-2 उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग रामपुर को उनके उक्त पत्र के कम में सूचनाार्थ एवं इस निदेश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।
संलग्नक-यथोपरि।

(आर0पी0 वर्मा)

वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक,
मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।